न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त. / 109 / 2022

लोकेश गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता जाति वैश्य निवासी एफ–2,3 / 424 चित्रकूट वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान

..........प्रार्थी

बनाम

1–मोतीराम पुत्र प्यारे जाति चोबदार
2–मोहनसिंह पुत्र प्यारे जाति चोबदार
निवासीयान बाछरैन तहसील भुसावर जिला भरतपुर
3–मुरारी लाल पुत्र रामेश्वर जाति जांगिड ब्राहम्ण
4–राधेलाल पुत्र रामेश्वर जाति जांगिड ब्राहम्ण
5–राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार भुसावर

..........अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा नम्बर 39 / 2022 अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट लोकेश गुप्ता बनाम मोतीराम वगे0 न्यायालय एस.डी.ओ. भुसावर

उपस्थितः–
1–श्री प्रभारानी अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अप्राथी 3व4,

निर्णय **दिनांक 03.08.2023**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया गया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र विभाजन हेतु मय प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर के न्यायालय में विचाराधीन है। एस.डी.ओ.भुसावार द्वारा 22.4.2022 को स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। प्रकरण इंतजार रजिस्टर्ड तलवी में लगा हुआ है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में अत्यन्त नजदीक तारीख पेशियां लगातार दी जा रही है। पीठासीन अधिकारी जारी टी.आई. को खारिज करने का मानस बना चुके हैं। प्रकरण अभी तलबी में लगा हुआ है इतनी नजदीकी तारीख पेशयॉ दिये जाने का कोई न्यायोचित कारण भी नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की राजनैतिक पहुंच है जिसका अनुचित लाभ उठाते हुये पीठासीन अधिकारी से अपने सम्बन्ध बना लिये हैं और जारी स्थगन आदेश को निरस्त कराने पर आमादा है। दिनांक 11.10.2022 को प्रार्थी अपने अधिवक्ता से मिलने कचहरी गयाथा तो वहॉ अप्राथीगण ने धमकी

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रा.पत्र मुन्त. / 109 / 2022
लोकेश गुप्ता बनाम मोतीराम वगै0

दी है कि पीठासीन अधिकारी से अच्छी जान पहचान है स्थगन आदेश को शीघ्र ही निरस्त करा देंगें। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी के व्यवहार से पूर्ण विश्वास हो गया है कि वह जारी स्थगन हो निरस्त करेंगे, पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी0 की तलब की गई एवं एस.डी.ओ. भुसावर से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी भुसावर से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण नम्बर 3 व 4 के अभिभाषक उपस्थित शेष अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। उपस्थित योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा विचाराधीन प्रकरण में बहुत ही नजदीकी तारीख पेशीयॉ दी जा रही हैं। अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी से मिले हुये हैं। एस. डी.ओ. भुसावर से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर किसी अन्य अदालत में मुकदमा स्थानान्तरण किये जाने का निवेदन किय।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने तर्को में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र निराधार झुठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र प्रकरण को देरीना करने की मन्शा से लगाया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्षकारान के कथनों पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी भुसावर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने जुबानी कथनों के समर्थन में ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके कथनों को बल मिलता हो। प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र का मकसद केवल तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा को देरीना की नियत से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जावे।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 03–08–2023 को सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर